


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली  
 (पीएसडी अधिकारी लोक अदालत/केस कोर्ट) कैम्प बाली

-आदेश-

2024/68

प्राची से 'खाता पुस्तकी' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मुण्डरा व मूल नि. मुण्डरा  
 से रिपोर्ट तथा तहसीलदार बाली/नाथर तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान  
 राजस्व अधिनियम 1988 की धारा 188 के अनुसार में धान मुण्डरा तहसील बाली व जिला  
 बाली की जनबंदी संख्या 2024-29 में खाता संख्या 255 व 521 में वर्तमान में दर्ज  
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मुण्डरा	255 521	लक्ष्मण पुत्र मीठी	लक्ष्मण पुत्र मीठी

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बाली (जिला-फरीदापुर)  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक - कोर्ट/2024/169 को172


दिनांक :- 7/2/24

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट निजवाये।
2. प्रार्थी श्री लक्ष्मण पुत्र मीठी को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

4. पटवारी हल्का - मुण्डरा



  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बाली (जिला-फरीदापुर)  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर